(फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

पत्रावली पेश हुई। कैम्प में उपस्थित
तहसीलदार आमेर ने पत्र प्राप्त
कर अवगत कराया है कि प्रकरण
के संदर्भ में जा. सं. 800 द्वारा
अमल दरामद कर दिया गया है।
अतः अब प्रकरण में कोई
कार्यवाही शेष नहीं रहने से
प्र. पत्र ईजराय खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से
कम हो बाद पूर्ति दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर